Title: Re: Need to provide benefits of PM-Awas Scheme to people on priority basis who suffer loss and damage to their houses due to natural calamities.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): अतिवृष्टि, बाढ़ एवं तूफान से सैकड़ों मकान गिर जाते हैं। विगत वर्षो में ग्रामीण इलाकों में कई मकान गिर गये है या क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कई क्षतिग्रस्त मकान रहने योग्य नहीं रहते। ऐसे में गरीब एवं विशेषकर छोटे किसानों को भारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। वे अपना नया मकान बनाने में असमर्थ होते है और वे कर्ज आदि लेकर अपना मकान बनाने के लिए मजबूर होते है। मै आग्रह करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ऐसे गरीब एवं किसानों को जिनके मकान अतिवृष्टि, तूफान आदि से गिर गये है उन्हें प्राथमिकता से मकान बनाये जाने हेतु राशि आवंटित की जाये। इस मामले में जिला कलेक्टर या दिशा कमेटी को अधिकार दिया जाये ताकि वे समय पर निर्णय लेकर उन्हें मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान कर सकें तथा तत्काल राजस्व परिपत्र 6-4 के तहत मिलने वाली राशि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1.50 लाख को मिलाकर मकान बनाये जा सकें।